

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22(6)लेखा/प्रमुवसं/12-13/ 7784-99

दिनांक : 8.1.18

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक परियोजनाएं, कोटा।
3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/  
अजमेर/बीकानेर/जयपुर
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर/ उदयपुर/ जोधपुर/ कोटा/ भरतपुर/ अलवर/  
सवाईमाधोपुर/

विषय:- राजस्व मद 0406-800-06 गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां।


महोदय,

उपरोक्त राजस्व मद के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 से वर्ष 2017-18 के माह 31 दिसम्बर 2017 तक जमा राशि की सूचना निर्धारित निम्न प्रपत्र में दिनांक 12.01.2017 तक आवश्यक रूप से वित्तीयसलाहकार वन विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें। अब तक उक्त मद में जमा हुई राशि से वर्षवार की सूचना को दिनांक 17.01.2018 को वित्त विभाग में आयोजित इस विभाग के राजस्व की बैठक में अवगत कराया जाना है।

अतः कृपया व्यक्तिरुचि लेकर निर्धारित तिथि तक अधीनस्थ वन मण्डलों की सूचना इकजाई कर भिजवाने की व्यवस्था करावें।

प्रपत्र निम्नानुसार है :-

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व उप मद 0406-800-06 गैर वन भूमि के अधिग्रहण से प्राप्तियां।	वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत प्राप्त आय	वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत प्राप्त आय	वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत प्राप्त आय	वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत प्राप्त आय	वर्ष 2010-2011 के अन्तर्गत प्राप्त आय	वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत प्राप्त आय	वर्ष 2012-2013 के अन्तर्गत प्राप्त आय
	9 वर्ष 2013-2014 के अन्तर्गत प्राप्त आय	10 वर्ष 2014-2015 के अन्तर्गत प्राप्त आय	11 वर्ष 2015-2016 के अन्तर्गत प्राप्त आय	12 वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत प्राप्त आय	13 वर्ष 2017-2018 के माह दिसम्बर तक प्राप्त आय	14 वर्षवार जमा राशि के प्रयोजन का उल्लेख	

भवदीय  
  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(HOFF),  
राजस्थान, जयपुर